इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक : 143 / प्र0सं0–भवन / जोन–1 / 2013–14 दिनांक 29 / 11 / 2014

अनुमति-पत्र

यह अनुमति उ0प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर व्यवसायिक (शो–रूम) मानचित्र स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसके स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरूद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

श्री राजेश कुमार कुशवाहा पुत्र श्री हरिविलास कुशवाहा द्वारा आराजी संख्या -1154 (पार्ट) उमरपुर नीवां उपरहार नीवां इलाहाबाद जोन संख्या (1) के अन्तर्गत दाखिल प्रस्तावित व्यवसायिक (शो–रूम) मानचित्र की स्वीकृति / निर्माण उपाध्यक्ष महोदय के अनुमोदनादेश दिनांक 18.10.2014 के द्वारा निम्नांकित प्रतिबन्धो के अधीन प्रदान की जाती है :–

1. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्राविधानो के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपयोग / अधिभोग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 के उपविधि संख्या 2.1.3 एवं 3.1.6 मे निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण- पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. यह स्वीकृति अनन्तिम (Provisional) स्वीकृति के रूप मे होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्ते पूर्ण करने के पश्चात, निर्गत किये जाने वाले पूर्णता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग मे लाया जा सकेगा।
3. स्थल पर 4X3 फिट का एक बोर्ड लगाकर प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र सम्बन्धी विवरण अंकित करना अनिवार्य होगा, जिसमे आर्किटेक्ट / इन्जीनियर के फर्म का नाम भी अंकित हो।
4. स्थल पर 04 अदद वृक्ष लगाना होगा। तथा वृक्षो को हरा–भरा रखने का दायित्व आवेदिका का होगा।
5. स्थल का अधिभोग / उपयोग स्वीकृत प्रस्तावना के अनुसार ही करना होगा। जिसमें स्टिल्ट पर पार्किंग, प्रथम तल पर सुविधा–जनक दुकाने, द्वितीय तल एवं तृतीय तल पर शो–रूम का निर्माण अनुमन्य किया गया है।
6. रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली मानक के अनुसार पूर्ण कराते हुए भू–गर्भ जल विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात ही जमा एफ0डी0आर0 अवमुक्त किया जायेगा।
7. मुख्य अग्नि शमन अधिकारी इलाहाबाद की अनापत्ति पत्रांक : 2014 / 4252 / ALD/ALLAHABAD/36/CFO दिनांक 30.10.2014 (छायाप्रति संलग्न) में अंकित प्रतिबन्धो का पालन करना होगा।
8. माननीय न्यायालय में कोई वाद होने अथवा उत्पन्न होने की स्थिति मे प्रदत्त स्वीकृति माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी। यह स्वीकृति भू–स्वामित्व का अधिकार प्रदान नही करती है भू–स्वामित्व सम्बन्धी कोई भी विवाद सक्षम न्यायालय / प्राधिकारी द्वारा ही निस्तारित किया जा सकता है।

Continued

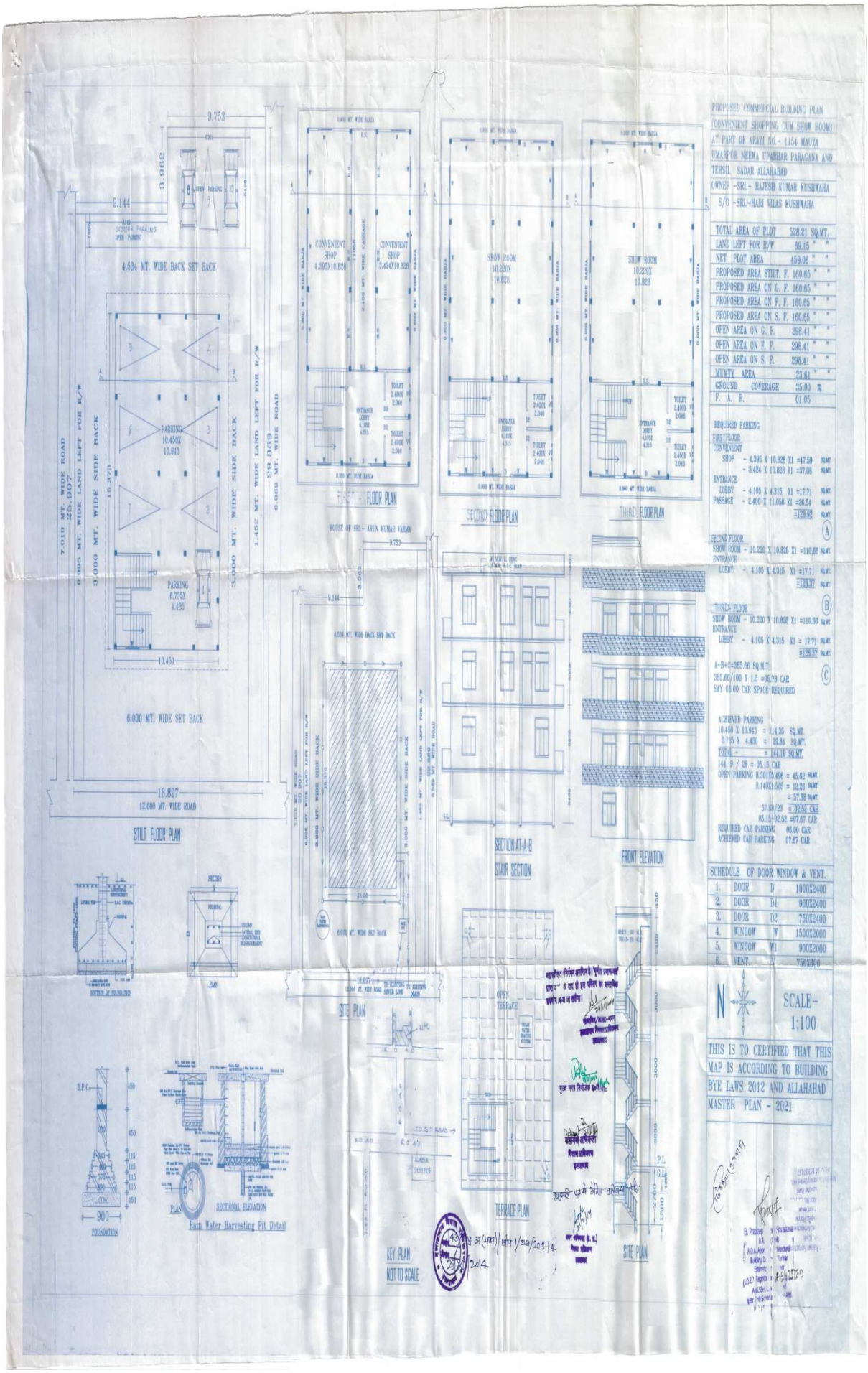

PROPOSED COMMERCIAL BUILDING PLAN
(CONVENIENT SHOPPING CUM SHOW ROOM)
AT PART OF ARAZI NO.- 1154 MAUZA
UMARPUR NEEWA UPARHAR PARAGANA AND
TEHSIL SADAR ALLAHABAD
OWNER -SRI.- RAJESH KUMAR KUSHWAHA
S/O -SRI.-HARI VILAS KUSHWAHA

TOTAL AREA OF PLOT	528.21	SQ.MT.
LAND LEFT FOR R/W	69.15	" "
NET PLOT AREA	459.06	" "
PROPOSED AREA STILT. F.	160.65	" "
PROPOSED AREA ON G. F.	160.65	" "
PROPOSED AREA ON F. F.	160.65	" "
PROPOSED AREA ON S. F.	160.65	" "
OPEN AREA ON G. F.	298.41	" "
OPEN AREA ON F. F.	298.41	" "
OPEN AREA ON S. F.	298.41	" "
MUMTY AREA	23.61	" "
GROUND COVERAGE	35.00	%
F. A. R.	01.05	

REQUIRED PARKING

FIRST FLOOR

CONVENIENT
SHOP - 4.395 X 10.828 X1 =47.59 SQ.MT.
- 3.424 X 10.828 X1 =37.08 SQ.MT.
ENTRANCE
LOBBY - 4.105 X 4.315 X1 =17.71 SQ.MT.
PASSAGE - 2.400 X 11.058 X1 =26.54 SQ.MT.
=128.92 SQ.MT.
(A)

SECOND FLOOR
SHOW ROOM - 10.220 X 10.828 X1 =110.66 SQ.MT.
ENTRANCE
LOBBY - 4.105 X 4.315 X1 =17.71 SQ.MT.
=128.37 SQ.MT.
(B)

THIRD- FLOOR
SHOW ROOM - 10.220 X 10.828 X1 =110.66 SQ.MT.
ENTRANCE
LOBBY - 4.105 X 4.315 X1 = 17.71 SQ.MT.
=128.37 SQ.MT.

A+B+C=385.66 SQ.M.T.
(C)
385.66/100 X 1.5 =05.78 CAR
SAY 06.00 CAR SPACE REQUIRED

ACHIEVED PARKING
10.450 X 10.943 = 114.35 SQ.MT.
6.735 X 4.430 = 29.84 SQ.MT.
TOTAL - = 144.19 SQ.MT.
144.19 / 28 = 05.15 CAR
OPEN PARKING 8.301X5.496 = 45.62 SQ.MT.
8.149X1.505 = 12.26 SQ.MT.
= 57.88 SQ.MT.
57.88/23 = 02.52 CAR
05.15+02.52 =07.67 CAR
REQUIRED CAR PARKING 06.00 CAR
ACHIEVED CAR PARKING 07.67 CAR

SCHEDULE OF DOOR WINDOW & VENT.			
1.	DOOR	D	1000X2400
2.	DOOR	D1	900X2400
3.	DOOR	D2	750X2400
4.	WINDOW	W	1500X2000
5.	WINDOW	W1	900X2000
6.	VENT.	V	750X600

N

SCALE- 1;100

THIS IS TO CERTIFIED THAT THIS
MAP IS ACCORDING TO BUILDING
BYE LAWS 2012 AND ALLAHABAD
MASTER PLAN - 2021